



## अनुस्मारक-1

### कार्यालय ज्ञापन

#### विषय: जलांश-के.ज.आ. के मासिक सूचना पत्र के लिए इनपुट-संबंधी

कृपया अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित इस निदेशालय के ओएम सं. T-96/1/2018-WSE DTE दिनांक 16.01.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें। यह के.ज.आ. के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसका यूआरएल <http://cwc.gov.in/sites/default/files/input-jalansh-monthly-newsletter-cwc.pdf> है।

1. उपरोक्त ओएम के माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक संगठन माह की **7 तारीख** तक जलांश के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सामग्री /फोटो भेजेंगे। इस संबंध में सभी संगठनों द्वारा पूरी तरह से अनुपालन नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से जलांश के संकलन में विलंब होता है।
2. इसके साथ यह भी अनुरोध किया गया था कि संगठनों द्वारा आयोजित समितियों की सभी बैठक के **मीटिंग नोटिस / एजेंडा / मिनट** ई-मेल के माध्यम से [wsedte-cwc@gov.in](mailto:wsedte-cwc@gov.in) को भेजे जाएंगे। उपरोक्त सूचना ऐसी समितियों के लिए भेजी जाएगी जिनकी अध्यक्षता के.ज.आ. के मुख्य अभियंता या उनसे उच्च स्तर के अधिकारी करते हैं। किसी भी संगठन द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः यह अनुरोध है कि अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित उपरोक्त निर्देशों का सभी संगठनों द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जाए।

**संलग्नक:** उपरोक्त

(एस. के. राजन)  
निदेशक

#### सेवा में

1. के.ज.आ के सभी मुख्य अभियंता / संयुक्त सचिव / सलाहकार
2. निदेशक (आरएम / डब्ल्यूपी और पी / डी एंड आर) - समन्वय, केंद्रीय जल आयोग

#### प्रतिलिपि:

1. प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग
2. प्रधान निजी सचिव, सदस्य (आरएम/ डब्ल्यूपीएंडपी /डीएंडआर), केंद्रीय जल आयोग



I/14522/2020

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
केंद्रीय जल आयोग  
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय



Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Dept. of Water Resources, RD&GR  
Central Water Commission  
Water System Engineering Directorate

### कार्यालय ज्ञापन

#### विषय: जलांश-के.ज.आ. के मासिक सूचना पत्र के लिए इनपुट-संबंधी

ऐसा देखने में आया है कि जलांश के लिए लेख सामग्री विभिन्न संगठनों से स्वतः आधार पर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं।

1. प्रत्येक संगठन माह की 7 तारीख तक जलांश के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सामग्री / फोटो भेजेंगे | सामग्री भेजने से पहिले, संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में अनुपालन और विफलता डब्ल्यूएसई निदेशालय, के.ज.आ. द्वारा अध्यक्ष, के.ज.आ. को प्रस्तुत की जाएगी।
2. संगठनों द्वारा आयोजित समितियों की सभी बैठक के मीटिंग नोटिस / एजेंडा / मिनट ई-मेल के माध्यम से [wsedte-cwc@gov.in](mailto:wsedte-cwc@gov.in) को भेजे जाएंगे। उपरोक्त सूचना ऐसी समितियों के लिए भेजी जाएगी जिनकी अध्यक्षता के.ज.आ. के मुख्य अभियंता या उनसे उच्च स्तर के अधिकारी करते हैं।
3. के.ज.आ. के अध्यक्ष और सदस्यों का मासिक कार्यक्रम उनके कार्यालयों द्वारा डब्ल्यूएसई निदेशालय, के.ज.आ. को महीने के अंत में प्रदान किया जाएगा।

यह पत्र, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Signature Not Verified  
Digitally signed by Shiv SUNDAR  
DN: cn=Shiv SUNDAR, o=Central Water Commission, ou=Water System Engineering Directorate, email=shiv.sundar@wsedte-cwc.gov.in, c=IN

(शिव सुंदर सिंह)

उप निदेशक

सेवा में

1. के.ज.आ के सभी मुख्य अभियंता / संयुक्त सचिव / सलाहकार
2. सचिव, के.ज.आ., नई दिल्ली
3. निदेशक (आरएम / डब्ल्यूपी और पी / डी एंड आर) - समन्वय, केंद्रीय जल आयोग
4. के.ज.आ के सभी निदेशक / अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि:

5. प्रधान निजी सचिव, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग
6. प्रधान निजी सचिव, सदस्य (आरएम / डब्ल्यूपी और पी / डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग

